मॉड्यूल 6: बच्चों की वैकल्पिक देखरेख

सत्र 2: किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थान– परिभाषा, गठन एवं उद्देश्य

अवधि: 9:24 मिनट

बाल देखरेख संस्थानों की आवश्यकता और प्रयोजन क्या है?

जब बच्चे का अपना परिवार, उपयुक्त सहायता दिये जाने के बावजूद बच्चे को पर्याप्त देखभाल करने में असमर्थ हो या बच्चे का त्याग कर दे या छोड़ दे तब बच्चे के अधिकारों की रक्षा करने और उपयुक्त वैकल्पिक देखरेख सुनिष्चित करने का दायित्व राज्य सरकार का है। राज्य सरकार यह दायित्व, सक्षम स्थानीय संस्थाओं और प्राधिकृत नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर या उनके माध्यम से पूरा करती है।

यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने सक्षम पदाधिकारियों के माध्यम से वैकल्पिक देखरेख में रखे गए बच्चों की सुरक्षा, खुषहाली और विकास का निरीक्षण कराए और दी जाने वाली देखभाल की व्यवस्था की उपयुक्तता की निरंतर समीक्षा कराती रहे। बाल देखरेख संस्थान, बच्चों को उपयुक्त वैकल्पिक देखरेख प्रदान करते हैं।

किशोर न्याय अधिनियम के तहत संस्थान, उनका गठन और उद्देश्य

किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत संस्थागत देखभाल तंत्र की व्यवस्था (गैर संस्थागत/परिवार आधारित देखभाल तंत्र के अतिरिक्त), कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों तथा देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनर्वास और पुनर्एकीकरण के लिए दी गई है। कानून का उल्लंघन करने वाले तथा देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों के संस्थानों की बेहतर समझ के लिए आईए अब उन पर विस्तार से चर्चा करें।

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए संस्थान

पर्यवेक्षण गृह (धारा 2 (40) किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

'पर्यवेक्षण गृह' का तात्पर्य प्रत्येक ज़िले या ज़िले के समूहों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वयं या स्वैच्छिक या गैर सरकारी संस्था द्वारा स्थापित और संचालित पर्यवेक्षण गृहों से है जो कानून का उल्लंघन करने के आरोपित बच्चे के मामले की सुनवाई के दौरान अस्थाई निवास, देखरेख तथा पुनर्वास के लिए हैं।

विशेष गृह (धारा 2 (56) किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

"विशेष गृह" (special Home) का तात्पर्य राज्य सरकार या किसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संस्था द्वारा स्थापित संस्थान से है जो धारा 48 के तहत पंजीकृत है और कानून का उल्लंघन करने वाले ऐसे बच्चों के रहने और पुनर्वास से संबंधित सेवाएं देने के लिए हैं जिन्हें जांच के बाद लगाए गए आरोपों के लिए दोषी पाया गया हो तथा बोर्ड के आदेष से ऐसे संस्थान में भेजा गया हो।

सुरक्षित स्थान (धारा 2 (46) किशोर न्याय अधिनियम 2015)

'सुरक्षित स्थान' (Place of Safety) से तात्पर्य ऐसे स्थान या संस्थान से है जो पुलिस का लॉकअप या जेल न हो और जिसे अलग से स्थापित किया गया हो या पर्यवेक्षण गृह या विशेष गृह से संलग्न हो। सुरक्षित स्थान का प्रभारी व्यक्ति, बोर्ड या बाल अदालत (Children's Court) के आदेष पर कानून का उल्लंघन करने वाले दोषारोपित बच्चों को जांच के दौरान या दोष साबित होने के बाद पुनर्वास के लिए आदेष में निर्धारित समय तक रखने और उसकी देखरेख करने का इच्छुक हो।

पर्यवेक्षण गृह की संरचना तथा प्रयोजन क्या हैं?

पर्यवेक्षण गृह (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 47 एवं 39 (2); किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 का नियम 29 (i),

जे.जे. मॉडल नियम, 2016)

- राज्य सरकार प्रत्येक ज़िले या ज़िलों के समूह के लिए स्वयं या किसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संस्था के माध्यम से पर्यवेक्षण गृह स्थापित करेगी जो इस अधिनियम की धारा 41 के तहत पंजीकृत होगी।
- यह संस्थान ऐसे बच्चों के अस्थायी रूप से रहने, देखरेख और पुनर्वास का कार्य करेगी जो कानून के उल्लंघन के दोषारोपित है और जिनकी जांच की प्रक्रिया इस अधिनियम के अन्तर्गत चल रही है।
- पर्यवेक्षण गृह में भेजे गए प्रत्येक कानून का उल्लंघन करने के दोषारोपित बच्चे को उसकी उम्र और लिंग के अनुसार, बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्थिति तथा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, अलग–अलग रखा जाएगा।
- किशोर न्याय अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार राज्य सरकार पर्यवेक्षण गृहों के प्रबन्धन और अनुश्रवण के संबंध में, जिसके अंतर्गत कानून का उल्लंघन करने के दोषारोपित बच्चे के पुनर्वास तथा सामाजिक एकीकरण के लिए दी जाने वाली सेवाओं व उनके मानक शामिल हैं, उसके प्रावधान करती है। इन प्रावधानों में यह भी व्यवस्था की गई है कि किन परिस्थितियों में और किस तरीके से किसी पर्यवेक्षण गृह को पंजीकृत किया जाएगा या पंजीकरण निरस्त किया जाएगा।
- अगर कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा ज़मानत पर रिहा नहीं किया जाता है या विशेष गृह, या सुरक्षित स्थान या उपयुक्त सुविधा या उपयुक्त व्यक्ति के साथ नहीं रहता है और बोर्ड के आदेष से पर्यवेक्षण गृह में ही रखा जाता है तो पर्यवेक्षण गृह में ही उसके पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया की जाएगी।
- लड़के और लड़कियों के लिए अलग–अलग पर्यवेक्षण गृह होंगे।
- बच्चों का वर्गीकरण उनकी उम्र के अनुसार किया जाएगा। शारीरिक और मानसिक स्तर तथा अपराध की प्रकृति का ध्यान रखते हुए उम्र का वर्गीकरण अधिमानतः 7–11 वर्ष 12–16 वर्ष और 16–18 वर्षों में किया जाएगा।

विशेष गृह की संरचना और प्रयोजन क्या है?

विशेष गृह (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 48 तथा धारा 18 (1) (जी), किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 का 29 (ii)

- राज्य सरकार प्रत्येक ज़िले या ज़िलों के समूह के लिएं, आवष्यकतानुसार स्वयं या किसी स्वैच्छिक संस्था या गैर सरकारी संस्था के माध्यम से विशेष गृह की स्थापना और परिचालन करा सकती है। परिचालन करने वाली संस्था निर्धारित तरीके से इस कार्य के लिए नियमानुसार पंजीकृत होनी होगी। यह विशेष गृह ऐसे बच्चों के पुनर्वास का कार्य करेंगी जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और जिन्हें किशोर न्याय बोर्ड की धारा 18 के तहत पारित आदेष से वहां पर रखा गया है।
- जहां पर बोर्ड अपनी जांच से संतुष्ट है कि किसी के बच्चे ने, वह चाहे कोई भी उम्र का हो, छोटा–मोटा अपराध या गंभीर अपराध किया है या किसी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ने जघन्य अपराध किया है और बोर्ड को यदि उचित प्रतीत होता है तो बोर्ड ऐसी समयावधि के लिए जो तीन वर्ष से अधिक न हो, बच्चे को विशेष गृह में रखने का निर्देष देता है जहां उसे निवास के दौरान सुधारात्मक सेवाएं दी जा सकें जिसके अन्तर्गत षिक्षा, कौषल विकास, परामर्ष व्यवहार में सुधारात्मक उपचार एवं मनोचिकित्सीय सहयोग दिया जाता है।
- 10 वर्ष से अधिक की उम्र की लड़कियों के लिए तथा 11 से 15 वर्ष और 16 से 18 वर्ष के लड़कों के लिए अलग–अलग विशेष गृह होंगे।
- बच्चों का वर्गीकरण और अलग–अलग रखने का निर्णय उनकी उम्र तथा उनके द्वारा किए गए अपराध के प्रकार व उनकी मानसिक एवं शारीरिक स्थिति के आधार पर किया जाएगा।

सुरक्षित स्थान की संरचना तथा प्रयोजन क्या हैं?

सुरक्षा का स्थान (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 49, धारा 19; किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 का नियम 29 (iii)

- प्रत्येक ज़िले में या ज़िलों के समूह में राज्य सरकार स्वयं या किसी स्वैच्छिक संस्था या गैर सरकारी संस्था के माध्यम से 'सुरक्षित स्थान' की स्थापना तथा संचालन धारा 49 के प्रावधानों के अनुसार इस आषय से करेगी कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है, और उन बच्चों ने जिन्होंने जघन्य अपराध किया है और अपराध करते समय 16 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, उन्हें देखरेख, उपचार, संरक्षण और विकासात्मक सेवाएं प्रदान करना सुनिष्चित किया जा सके।
- कानून का उल्लंघन करने वाले ऐसे बच्चे जो जघन्य अपराध करने के आरोपित हैं और 16 वर्ष से अधिक उम्र के हैं या 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं तथा बोर्ड या बाल अदालत के समक्ष जैसा भी मामला हो, मामले की सुनवाई बाकी है तो ऐसे बच्चों के रहने के लिए अलग सुविधा उपलब्ध, कराई जाएगी।
- ऐसे बच्चों के लिए जो 16 से 18 वर्ष के हैं और जघन्य अपराध के आरोपित हैं तथा जिनकी जांच अभी लंबित है।

- ऐसे बच्चों के लिए जो 16 से 18 वर्ष के हैं और जांच पूरी होने पर जिन्हे जघन्य अपराध का दोषी पाया गया।
- ऐसे व्यक्ति के लिए जिनकी उम्र अपराध कारित करने की तिथि के दिन 18 वर्ष से कम थी, परन्तु जाँच लंबित होने के कारण उन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।
- ऐसे व्यक्ति के लिए जो जांच पूरी होने पर कानून के उल्लंघन में पाए गए और जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हो चुके हैं।
- अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के क्लॉज़ (जी) के तहत बोर्ड के आदेष के अनुरूप बच्चों के लिए।